

## न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा



पीठासीन अधिकारी— नरेश कुमार शर्मा  
आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं० 48/2018

श्रीफूल पुत्र रामस्वरूप जाति मीना निवासी ग्राम वीरगॉव तहसील महवा जिला दौसा  
...अपी०

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, उप तहसील मण्डावर तहसील महवा जिला  
दौसा ...रेस्प०

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 11.01.2016  
व न्यायालय उप तहसीलदार, मण्डावर

उपस्थित : 1.श्री आर० सी० शर्मा, अधिवक्ता अपीलांत  
2.श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 20.08.18

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, मण्डावर ने दिनांक 11.01.2016 को ग्राम वीरगॉव के आ०ख०न० 675 रकबा 0.03 है० किस्म जमीन चरागाह पर अपीलांत को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली व पेनल्टी का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्प० को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांत पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि पटवारी हल्का द्वारा निहायत झूठी रिपोर्ट की है। अपीलांत को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं बिना मौके की जांच किये बिना इकतरफा में निर्णय पारित किया है। अपीलांत द्वारा किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया बल्कि भूमि आबादी में सैट अपार्ट करने हेतु श्रीमान् के यहाँ प्रस्ताव भिजवा रखे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रक्रिया का पालना नहीं करते हुए इकतरफा पक्षपातपूर्ण आदेश पारित कर दिया गया। जो नियमों के प्रतिकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों कि विपरीत है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।



राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांट के तर्कों का खंडन करते हुए बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से चरागाह भूमि पर "पक्का मकान" बनाकर अतिक्रमण करना अंकित किया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलांट के हस्ताक्षर मौजूद हैं। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आती है। वर्तमान में भूमि की किस्म चरागाह है। अपीलांट का कथन बिल्कुल गलत है कि भूमि आबादी की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जांच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपील को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया नोटिस बाद तामिल संलग्न पत्रावली है। अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में " पक्का मकान " अंकित कर अतिक्रमण करना बताया है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट का चरागाह भूमि पर पश्चावर्ती अतिक्रमण है। अपीलांट का कथन उचित नहीं है कि भूमि सैट अपार्ट करने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है। जब तक भूमि की किस्म परिवर्तन होकर संबंधित व्यक्ति को आवंटन नहीं हो जाती तब तक उस पर बैठा व्यक्ति अनाधिकृत/अतिक्रमी की श्रेणी में ही आता है। अपीलांट द्वारा अपने कथनों की पुष्टि में प्रश्नगत भूमि के संबंध में ऐसे कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किए जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। वर्तमान में भूमि चरागाह अंकित है। अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट में कोई संदेह नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर बिना किसी अधिकार के अतिक्रमण कर रखा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतिक्रमी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)  
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 20 अगस्त, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)  
जिला कलेक्टर, दौसा  
जिला कलेक्टर, दौसा

